



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता शाखा

द्वितीय बहुतलीय कार्यालय भवन, छठा तल, निजाम पैलेस,
234/4 ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 020

फोन: 033-2289/4111/12/13, फैक्स: 033-2289-4060

ई-मेल: bresdkolkata@cag.gov.in

कार्यालय आदेश

का.आ.सं.प्रशा./07

दिनांक: 12.04.2022

लेखा परीक्षा अधिकारी / लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के विलय के परिणामस्वरूप मुख्यालय पत्र संख्या 1327-स्टाफ (एपीटी.)/213-2019 दिनांक 25.11.2019 के माध्यम से और केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपीएस) में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के माध्यम से लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था। (डी) दिनांक 19 मई, 2009, सीएजी के कार्यालय पत्र संख्या 28 लेखापरीक्षा (नियम 1/8-2009 दिनांक 20.05.2009 के द्वारा परिचालित किया गया, जिसमें कार्यालय जापन संख्या 35034/1/97-स्थापना (डी) दिनांक 04.10 में निहित स्पष्टीकरण शामिल हैं। 2012. कार्यालय जापन संख्या 35034/1/2015-स्थापना (डी) 27/28.09.2016 कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2015-स्था (डी) दिनांक 22.10.2019 और मुख्यालय परिपत्र संख्या 23-स्टाफ विंग/ 2016 दिनांक 20.06.2016 सक्षम प्राधिकारी ने इस कार्यालय के गुप ए राजपत्रित पद (सीनियर एओ कैडर) के निम्नलिखित अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर और उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है।

क्रम संख्या	नाम और पदनाम (श्री/श्रीमती)	जिस तारीख से अगले वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य	पे-मैट्रिक्स में स्तर जिसमें उन्नयन स्वीकार्य	टिप्पणी
1	अमिताभ बनर्जी, व.ले.प.अ.	27.03.2022	लेवल-11, एमएसीपी-2	शून्य
2	दीपांकर पाल, व.ले.प.अ.	21.08.2022	लेवल-11, एमएसीपी-2	शून्य

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का अनुदान केवल व्यक्तिगत आधार पर होगा और यह या तो कार्यात्मक नियमित पदोन्नति या संबंधित अधिकारी के मौजूदा पद की स्थिति में परिवर्तन के समान नहीं होगा। यह उसकी मौजूदा वरिष्ठता स्थिति को भी नहीं बदलेगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ, जो एक कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से जुड़े होते हैं, की अनुमति होगी। एमएसीपी योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण कनिष्ठ को वरिष्ठ से अधिक वेतन मिलने के संबंध में वेतन स्तर में वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान पर वेतन निर्धारण के संबंध में, संबंधित अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 के तहत वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं - विभाग के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ें। व्यय के कार्यालय जापन संख्या 4-21 2017-IC/E.IIIA दिनांक 28.11.2019 का। अधिकारी द्वारा दो या अधिक वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने की स्थिति में, उसका वेतन पे-मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तर में क्रमिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा, यदि यह एमएसीपीएस के तहत दिए गए पे-मैट्रिक्स के समान स्तर पर है। में कम से कम, वास्तविक पदोन्नति के समय, यदि यह एमएसीपीएस के तहत उपलब्ध वेतन-मैट्रिक्स में उच्च स्तर वाले पद पर होता है, तो कोई वेतन निर्धारण उपलब्ध नहीं होगा और केवल स्तर का अंतर उपलब्ध कराया जाएगा

संबंधित अधिकारी के मामले में, एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने के बाद। बाद में नियमित पदोन्नति से इंकार कर देता है, वह आगे वित्तीय उन्नयन के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता शाखा

द्वितीय बहुतलीय कार्यालय भवन, छठा तल, निजाम पैलेस,
234/4 ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700 020

फोन: 033-2289/4111/12/13, फैक्स: 033-2289-4060

ई-मेल: bresdkolkata@cag.gov.in

कार्यालय आदेश

का.आ.सं.प्रशा./07

दिनांक: 12.04.2022

लेखा परीक्षा अधिकारी / लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद के विलय के परिणामस्वरूप मुख्यालय पत्र संख्या 1327-स्टाफ (एपीटी.)/213-2019 दिनांक 25.11.2019 के माध्यम से और केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपीएस) में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के माध्यम से लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था। (डी) दिनांक 19 मई, 2009, सीएजी के कार्यालय पत्र संख्या 28 लेखापरीक्षा (नियम 1/8-2009 दिनांक 20.05.2009 के द्वारा परिचालित किया गया, जिसमें कार्यालय जापन संख्या 35034/1/97-स्थापना (डी) दिनांक 04.10 में निहित स्पष्टीकरण शामिल हैं। .2012. कार्यालय जापन संख्या 35034/1/2015-स्थापना (डी) 27/28.09.2016 कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2015-स्था (डी) दिनांक 22.10.2019 और मुख्यालय परिपत्र संख्या 23-स्टाफ विंग/ 2016 दिनांक 20.06.2016 सक्षम प्राधिकारी ने इस कार्यालय के ग्रुप ए राजपत्रित पद (सीनियर एओ कैडर) के निम्नलिखित अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर और उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है।

क्रम. संख्या	नाम और पदनाम (श्री/श्रीमती)	जिस तारीख से अगले वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य	पे-मैट्रिक्स में स्तर जिसमें उन्नयन स्वीकार्य	टिप्पणी
1	अमिताभ बनर्जी, व.ले.प.अ.	27.03.2022	लेवल-11, एमएसीपी-2	शुन्य
2	दीपांकर पाल, व.ले.प.अ.	21.08.2022	लेवल-11, एमएसीपी-2	शुन्य

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का अनुदान केवल व्यक्तिगत आधार पर होगा और यह या तो कार्यात्मक नियमित पदोन्नति या संबंधित अधिकारी के मौजूदा पद की स्थिति में परिवर्तन के समान नहीं होगा। यह उसकी मौजूदा वरिष्ठता स्थिति को भी नहीं बदलेगा। हालांकि, वित्तीय और कुछ अन्य लाभ, जो एक कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से जुड़े होते हैं, की अनुमति होगी। एमएसीपी योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण कनिष्ठ को वरिष्ठ से अधिक वेतन मिलने के संबंध में वेतन स्तर में वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के अनुदान पर वेतन निर्धारण के संबंध में, संबंधित अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के नियम 10 के तहत वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं - विभाग के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ें। व्यय के कार्यालय जापन संख्या 4-21 2017-IC/E.IIIA दिनांक 28.11.2019 का। अधिकारी द्वारा दो या अधिक वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने की स्थिति में, उसका वेतन पे-मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तर में क्रमिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।

नियमित पदोन्नति के समय वेतन का कोई और निर्धारण नहीं होगा, यदि यह एमएसीपीएस के तहत दिए गए पे-मैट्रिक्स के समान स्तर पर है। मैं कम से कम, वास्तविक पदोन्नति के समय, यदि यह एमएसीपीएस के तहत उपलब्ध वेतन-मैट्रिक्स में उच्च स्तर वाले पद पर होता है, तो कोई वेतन निर्धारण उपलब्ध नहीं होगा और केवल स्तर का अंतर उपलब्ध कराया जाएगा

संबंधित अधिकारी के मामले में, एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने के बाद। बाद में नियमित पदोन्नति से इंकार कर देता है, वह आगे वित्तीय उन्नयन के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक

कि वह फिर से पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए सहमत नहीं हो जाता। अगले वित्तीय उन्नयन को भी इस तरह के इनकार के कारण डिबारमेंट की अवधि तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

यह उप निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्राधिकार: o.oNo.02 of o/o the DGA (I&CA), New Delhi
issued under letter no.
Admn/2(16)/MACPS/Gazetted/2022-23/04 dated
08.04.2022

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

दिनांक: 12-4-2022

सं.प्रशासन/2(165)/MACP/IV/ 388 - 406

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कोर्पोरेट अफेयर्स, डी.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002 पत्र संख्या प्रशा/2(16)/MACPS/Gazetted/2022-23/04 दिनांक 08.04.2022 के संदर्भ में
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, ए.जी.सी.आर. भवन आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
3. भुगतान एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी भवन, कोलकाता-700 001
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (डाक व तार), 7, कोइलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता-700 001
5. श्री अमिताभ बनर्जी, व.ले.प.अ.
6. श्री अमिताभ बनर्जी, व.ले.प.अ. की निजी संचिका
7. श्री दीपांकर पाल, व.ले.प.अ.
8. श्री दीपांकर पाल, व.ले.प.अ.
9. स्थापना
10. वेतन निर्धारण सीट
11. परीक्षा सीट
12. ग्रेडेशन सूची सीट
13. बजट सीट
14. हिंदी सेल
15. सचिव, वैज्ञानिक लेखापरीक्षा (कैटेगरी-I) एसोशिएशन, कोलकाता
16. सचिव, वैज्ञानिक लेखापरीक्षा (कैटेगरी-II) एसोशिएशन, कोलकाता
17. सचिव, वैज्ञानिक लेखापरीक्षा (कैटेगरी-III) एसोशिएशन, कोलकाता
18. कार्यालय आदेश पुस्तिका
19. सूचना पट्ट

अ-जि

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)